गाँधीवादी एवं स्वराज्य पार्टी

डॉ. देवेन्द्र कुमार सिन्हा*

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अग्रणी नेता एक साथ मिलकर कार्य करते चले आ रहे थे किन्तु बीच–बीच में स्थितियाँ काफी बिगड़ती जा रही थी। कई बार हिन्दू मुस्लिम के बीच साम्प्रदायिक दंगे हुये जिस पर किसी तरह काबू पाया जा सका। हिन्दू मुस्लिम दंगो पर पूरी तरह काबू पाना और हिन्दू मुस्लिम एकता को पुनः स्थापित करना बड़ा ही कठिन कार्य हो गया था। 1923 ई० में पुनः हिन्दू–मुस्लिम दंगे हुए तथा देश के राजनैतिक आकाश पर काले बादल मंडराने लगे। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि असहयोग आन्दोलन के सिद्धान्तों पर कार्य करना असम्भव होगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना देश काल और परिस्थिति की देन है। यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होती तो ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश में मिलकर कार्य करना अब असम्भव प्रतीत हो रहा था। दो विभिन्न वर्गों की विचार धारायें भी एक दूसरे से काफी हद तक मेल नहीं खाती थी ऐसी स्थिति में गाँधीवाद के समर्थक नेता आन्दोलन की गति को तेज करने एवं सही दिशा निर्देश के लिये नये राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता का अनुभव करने लगे थे। दो विभिन्न मत वालों के बीच के तनाव को समूल नष्ट करना भी आसान एवं सम्भव नहीं था।

चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1 जनवरी, 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की और उसके कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार के लिए पूरे देश भर में उन्होंने लगाातार यात्रायें की अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्यवादियों के बढ़ते हुए वैमनस्य एव फूट को रोकने के उद्देश्य से सितम्बर, 1923 ई० में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई। इस अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश के समर्थकों का यह प्रस्ताव मान लिया गया कि 1923 ई० के होने वाले निर्वाचनों में कांग्रेस के सदस्य भाग ले सकते हैं।

1922 में महात्मा गाँधी जेल चले गये थे उस समय असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम योजनानुसार चल रहा था किन्तु तीन माह बाद ही असहयोग आन्दोलन स्थगित हो गया आन्दोलन के जगह पर समिति के लोगों ने नई योजना को लागू करने पर बल दिया उसमें भी मतभेद था 1922 में ही गया में कांग्रेस का अधिवेशन सम्पन्न हुआ। गया अधिवेशन में मतभेद उभर कर सामने आ गया। दो

***अध्यक्ष–इतिहास विभाग, प्रधानाचार्य एस. के. एम. कॉलेज नेवादा (बिहार)**

विचार धारा के लोग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे दोनों ही एक दूसरे के तर्क से सहमत नहीं थे। गया अधिवेशन के सभापति देश बन्धु चितरंजन दास चुने गये थे उन्होंने अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा कि हम शेर को उसकी मांद में जाकर पराजित करेगे, खर्च की स्वीकृति नहीं देंगे, निन्दा का प्रस्ताव पारित करेंगे और सरकारी यंत्र का चलन असम्भव कर देंगे। उक्त बयान इन्होंने कौंसिल में प्रवेश को लेकर दिया था। किन्तु उनके विचारों का विरोध श्री राजगोपालाचार्य, सरदार बल्लभ भाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, चितरंजन दास तथा मोती लाल नेहरू आदि ने उनके कौंसिल में प्रवेश पर असहमति जताते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए घातक बताया। उस अधिवेशन में ही चितरंजन दास ने सभापति पद से तथा मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से तत्काल त्यागपत्र दे दिया।

स्वराज्यवादियों का उद्देश्य वही था, जो गांधीवादियों का था, लेकिन इसकी प्राप्ति के साधन एक नहीं थे। स्वराज्यवादियों के निम्नलिखित उद्देश्य थे :–

(i) स्वराज्य प्राप्त करना, (ii) उस परिपाटी का अन्त करना जो बिटिश सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी, (iii) कौंसिल में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग को सफल बनाना, (iv) सरकार की नीति का विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, ताकि सरकार अपनी नीति में पविर्तन करने में बाध्य हो जाये, (v) उनका नारा था – 1919 ई० के अधिनियम में सुधार करना या उनका अन्त करना, (vi) ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य या अधिराज्य स्थिति प्राप्त करना।

स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी उसके पूर्व 1922 में ही गाँधी जी को जेल जाना पड़ा स्वराज्य पार्टी में काम करने वाले प्रायः गाँधीवादी ही थे। यही कारण था कि गाँधी जी स्वराज्य पार्टी से पूरी तरह सहमत न होते हुए भी उसका विरोध नहीं कर सके 1922 ई० में गाँधीजी को 6 वर्ष की कारावास की सजा मिली थी, परन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें 1924 ई० में ही रिहा कर दिया गया। 1924 ई० के बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गाँधीजी ने ही की। यद्यपि गाँधीजी स्वराज्य दल के कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, फिर भी असहयोग आन्दोलन के स्थगन के कारण एवं उसे पुनः प्रारम्भ करने की स्थिति में न होने के कारण, गाँधीजी ने मौन रूप से स्वराज्य दल को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुमति दे दी। उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार, हाथ से कताई, बुनाई तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। स्वराज्यवादियों ने गाँधीजी के कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की तथा इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के मध्य समझौता हो गया एवं सूरत-विच्छेद की पुनरावृत्ति होने से बच गई। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा स्वराज्य पार्टी दोनों के लिए ही एक शुभ संकेत था

स्वराज्य दल का ध्येय था कि कौंसिलों में प्रवेश करके नौकरशाही के गढ़ में असहयोग की पताका ऊँची रखी जाय। वह कौंसिलों में प्रवेश करने के उपरान्त निम्न कार्य करना चाहते थे :–

बजट को रद्द करना – स्वराज्यवादी उस समय तक बजट को रद्द करना चाहते थे, जब तक कि सरकार प्रचलित शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करती है। उनका कहना था कि लगभग 191 करोड़ के बजट में (रेलवे छोड़कर) केवल 16 करोड़ ही मत सापेक्ष्य था। इस प्रकार जनता का अपने धन पर अधिकार नहीं था।

दमनकारी कानूनों का विरोध – स्वराज्यवादी उन सभी सरकारी कानूनों, प्रस्तावों का विरोध करना और यदि सम्भव हो तो अस्वीकार करना चाहते थे, जिनके माध्यम से नौकरशाही शक्तिशाली बनती हो।

राष्ट्र की शक्ति को उन्नत करना – कौंसिलों में उन प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को प्रस्तुत करना जिसके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो तथा नौकरशाही शक्तियों का अन्त किया जाना सम्भव हो।

रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना – स्वराज्यवादियों द्वारा यह निश्चित किया गया कि वे कौंसिलों के बाहर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार – वे सभी उन पदों पर अधिकार करना चाहते थे, जिन पर कि कौंसिल के सदस्य होने के नाते वे अधिकार कर सकते थे और उनके द्वारा सरकार के कार्यों में बाधा डाल सकते थे।

आवश्यकतानुसार पद त्याग – स्वराज्यवादियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उन्हें यह आभास हुआ कि नौकरशाही को सुधारने में वे असफल रहे हैं, तो वे पद त्याग कर गाँधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह करेंगे।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्वराज्यवादियों का कार्यक्रम दो प्रकार का था – विधानमण्डलों के भीतर और विधानमण्डलों के बाहर।

स्वराज्य पार्टी के नेता पंडित मोती लाल नेहरू पार्टी के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हुए पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ लगातार भाग –दौड़ एवं परिश्रम करते रहे जिसका बड़ा ही अच्छा परिणाम रहा।

श्री चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजिस्ट पार्टी 1923 ई० के सामान्य चुनावों में भाग लेने के लिए मैदान में आयी और उसे आशा से भी अधिक सफलता मिली। बंगाल एवं मध्य भारत में पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केन्द्रीय विधान मण्डल में 145 स्थानों में से पार्टी ने 45 स्थान प्राप्त कर लिए।

इस प्रकार विधान मण्डल में यह पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। इस केन्द्रीय विधान मण्डल में स्वराज्य पार्टी के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विधान मण्डल में पार्टी के नेता श्री सी० आर० दास थे। अन्य अनेक प्रान्तों में भी पार्टी बड़े विरोधी दल के रूप में प्रकट हुई। यह पार्टी की बहुत बड़ी सफलता थी।

मोती लाल नेहरू बड़े ही कदावर एवं अनुभवी नेता थे। उन्होंने अपनी योग्यता एवं कुशलता से केन्द्रीय विधान मण्डल में स्वतंत्र एवं राष्ट्रवादी सदस्यों को अपने साथ मिलाकर फरवरी 1924 ई० में एक प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित कराया। प्रस्ताव इस प्रकार था – 'यह एसेम्बली परिषद् सहित गवर्नर जनरल से सिफारिश करती है कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दृष्टि से 1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम में संशोधन करे और इस हेतु निकट भविष्य में भारत के प्रतिनिधियों की एक गोलमेज सम्मेलन बुलायी जाय। यह सम्मेलन अल्पसंख्यक जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नया संविधान बनाये। वर्तमान केन्द्रीय विधान मण्डल को भंग करके नये विधान मण्डल के समक्ष संविधान को स्वीकृति के लिए रखा जाय और फिर ब्रिटिश संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखा जाय।'

जब स्वराज्य पार्टी की उपर्युक्त माँग को ब्रिटिश सरकार एवं भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया, तब पार्टी का सरकार के प्रति दृष्टिकोण अधिक कड़ा तथा असहयोगपूर्ण हो गया। पार्टी ने अब अड़ंगेबाजी की नीति का खुलकर प्रयोग किया। केन्द्रीय विधान मण्डल में 1924–25, 1925–26, 1926–27 के बजटों को स्वीकृत होने से रोक दिया और इस प्रकार बजट की माँगों की स्वीकृति के लिए गवर्नर जनरल को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। दमनकारी अध्यादेश और कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किये गये। जिन प्रश्नों पर स्वराज्यवादियों की बात नहीं मानी जाती थी, उन पर वे संसद से बहिर्गमन, करते थे।

बंगाल के विधान मण्डल में स्वराज्यवादियों का स्पष्ट बहुमत था। मि० दास के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी ने बंगाल में द्वैध शासन को निष्क्रिय बना दिया। पार्टी ने 23 मार्च 1924 ई० को विधान मण्डल में दो मंत्रियों के वेतन का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया, फलस्वरूप मंत्रियों को त्याग–पत्र देना पड़ा। बंगाल के गवर्नर ने दास को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया, परन्तु उन्होंने असहमति प्रकट कर दी। बंगाल की तरह मध्य प्रदेश में भी द्वैध शासन असफल हो गया, परन्तु अन्य प्रान्तों में स्वराज्यवादियों को विशेष सफलता नहीं मिली।

केन्द्रीय विधान मण्डल में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 ई० के प्रस्ताव

का परिणाम यह निकाला कि द्वैध शासन प्रणाली की जाँच के लिए एक सुधार परीक्षक समिति नियुक्त की जाय जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के गृह सदस्य मि० अलैक्जेण्डर मुद्दीमेन थे। मोतीलाल नेहरू ने इस समिति का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया। जब यह रिपोर्ट केन्द्रीय विधान मण्डल में आई, तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की और द्वैध शासन को अयोग्य बताया। उन्होंने इस रिपोर्ट के विरूद्ध केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रस्ताव पास कराया।

स्वराज्य दल यद्यपि अपनी अड़ंगा नीति में अधिक सफल नहीं हो सका, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में इसका योगदान अमूल्य है। जिस वक्त देश के राजनैतिक क्षितिज पर निराशा छायी हुई थी, असहयोग आन्दोलन असफल हो चुका था, कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जनता को आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त नहीं कर रहा था, स्वराज्य दल ने जनता में राष्ट्रीयता की ज्योति को अक्षुण्ण रखा। सरकार का विरोध करके तथा उसके मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करके राष्ट्र में चेतना को जागृत रखने का श्रेय स्वराज्य दल को ही है। इसने सरकार को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि द्वैध शासन प्रणाली असफल तथा दोषपूर्ण है। इसने व्यवस्थापिका सभा में शासन की तानाशाही तथा उत्तरदायित्वहीनता सिद्ध की एवं समय–समय पर सरकार के प्रस्तावों तथा सरकारी बजटों को अस्वीकृत कर एक विरोधी दल के कर्त्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाया। साइमन कमीशन ने भी स्वराज्य दल को एक सुसंगठित तथा अनुशासनप्रिय राजनैतिक दल कहा था, जिसके पास एक सुनिश्चित कार्यक्रम था। गोलमेज सम्मेलन की माँग, जिसे सरकार ने 1930 ई० में माना, सर्वप्रथम स्वराज्य दल ने ही की थी। मुडीमैन समिति तथा साइमन कमीशन की भी नियुक्ति सरकार ने स्वराज्य की माँगों के फलस्वरूप ही की थी।

इन सबके अतिरिक्त भी स्वराज्य दल की नीतियों में स्वभावतया परस्पर विरोध था। सरकार का विरोध कौंसिलों में घुसकर अड़ंगा द्वारा करने की योजना तर्क विहिन था। डॉ० जकारिया का कथन सही प्रतीत होता है कि, 'स्वराज्यवादियो की स्थिति उन व्यक्तियों की सी थी, जो अपनी रोटी को रखना भी चाहते थे और खाना भी। जनता में लोकप्रिय होने के लिए वे उग्रतापूर्ण बातें करते थे, परन्तु वास्तव में वे संसदवाद के समर्थक थे। परिणामतया जिस पथ का उन्होंने अनुसरण किया, उसमें सहयोग का अर्थ था – असहयोग।'

भारत में स्वराज्य दल के उदय और विकास में जिन विचारकों एवं कांग्रेसी नेताओं ने भागीरथ प्रयत्न किया, उनके बारे में प्रकाश डालना उचित होगा, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से भारत में स्वराज्य दल की नींव पड़ी। अन्ततः भारतीय

क्षितिज पर स्वराज्य दल के उदय के लिए ये ही विचारक एवं नेतागण उत्तरदायी समझे जाते हैं। ऐसे विचारकों एवं नेताओं में देशबन्धु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, हकीम अजमल खाँ, एन० सी० केलकर, एम० आर० जयकर, वी० अभ्यकर, सी० एस० रंगा अय्यर आदि प्रमुख हैं। स्वराज्य पार्टी को भले ही वह स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण था कि बाद में भी कई महत्वपूर्ण नेता इससे जुड़ते गये और इसे काफी सफलता भी मिली। स्वराज्य पार्टी में निश्चय ही कुछ दुर्गुण भी थे जिसका परिणाम स्वयं पार्टी को भुगतना पड़ा।कई लोगों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई इन सबके बावजूद कई दृष्टि से स्वराज्य पार्टी अपने कार्य काल में काफी महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभाती रही। चूकि इसके उद्देश्य गाँधीवाद से काफी हद तक मिलते जुलते थे जिसके फलस्वरूप इसका अस्तित्व भी बना रहा।

सन्दर्भ सूची :–

1. जकारिया – सिनेरेस्ट इण्डिया
2. प्रो० सी० पी० शर्मा एवं श्रीमती शशिप्रभा शर्मा (उद्धृत) – भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान
3. डॉ० रामनरेश त्रिवेदी–भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास
4. डॉ० विमलेश एवं भण्डारी (उद्धृत)–भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास